26/12/19
20/3

File No.

मु०न० 61/19 नि०मु० 136 दि० नामा० 31/10/19 दि० फैसला स्थगित 5/4/21 9/6/20
26/8/20
न्यायालय श्रीमान SDO तहसील नकोदर 5/4/21 10/12/20
23/3/21
31/3/21
(आदेश)
5/4/21.

सुशीला बनाम राज्य 136 L.R.Act

#2019/00521

जा० पत्र नं० 1219

Name

Address

Subject

From **To**

मामले रेकार्ड रूम

Record File

No. 3500

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Pooja®

OFFICE FILE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील
23/3/21	पेश० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी बयानात की रिपोर्ट प्रार्थी प्रमाण वास्ते आदेश दिनांक 31/3/21 को पेश हो।	
31/3/21	पेश० प्रार्थी उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली दिनांक 5/4/21 को पेश हो।	
5/4/21	पेश वाकिर प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र धारा 136 UP Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ख० नं० 913/0.22, 914/0.33, 915/0.14, 916/0.06, 917/0.03, 918/0.66 किता 6 रकबा 1.44 हे० वाके ग्राम बीसेपुरा स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/3 का खातेदार, काश्तकार, काबिज आराजी है। ख० नं० 1631/0.01, 1632/0.15, 1633/0.08, 1634/0.21 में 1/2 भाग, ख० नं० 928/0.36, 930/0.26, 931/0.04 में 3/8 भाग, ख० नं० 1649/0.07, 1652/0.19, 1656/0.53 में 9/16 भाग का ग्राम बीसेपुरा तह० बयाना का खातेदार, काश्तकार, काबिज आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से ही काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में [illegible] आराजी से किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है न कभी रहा है एवं ना ही अब है [illegible] जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से उक्त आराजी के तीन खाता संख्या नया 298, 76, 299 में प्रार्थी के सही नाम मुकालिया पुत्र बल्ली के स्थान पर मूलचन्द पुत्र बल्ली अशुद्ध इन्द्राज कर रखा है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
खाता सं० 73 में मूलचन्द उर्फ सुकलिया दर्ज कर रखा है जबकि मूलचन्द नाम का कोई व्यक्ति नहीं है खाता संख्या 73 से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सुकलिया है इस अशुद्धि का जानकारी प्रार्थी को दिनांक 20/10/2019 को हुई। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजीयात (खाता सं० 290, 76, 299 में काबिल आराजी) में प्रार्थी के अशुद्ध नाम मूल चन्द पुत्र वल्ली के स्थान पर सुकलिया पुत्र वल्ली दर्ज किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक/1090 दिनांक 22/03/2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पेशकार सरकार ने प्रार्थना पत्र की मद सं० 01 को छोड़कर अन्य मदों को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया है। हमने एड० प्रार्थी को सुना। एड० प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया। एडवोकेट प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाता सं० 298, 299, के खसरा नम्बरान में मूल चन्द पुत्र वल्ली एवं खाता सं० 76 में दर्ज आराजी खसरा नम्बरान में मूलचन्द पुत्र वल्ली दर्ज है। राशन कार्ड वोटर पहचान पत्र, आधार [illegible] द्वारा प्रतियों में सुकलिया दर्ज है। [illegible] राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मूलचन्द [illegible] के स्थान पर सुकलिया दर्ज करना चाहता है। प्रा० ने उक्त खसरा नम्बरान से सम्बन्धित कोई कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है जहाँ पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड	

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	से सुकबिया दर्ज है। बिना राजस्व रिकार्ड पेश नहीं करने की स्थिति में मूलचन्द पुत्र बल्ली के स्थान पर सुकबिया पुत्र बल्ली दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।
	आदेश–
	अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी दफ्तर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:20 IST
Reason: SelfAttested